



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4652]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2018/अग्रहायण 9, 1940

No. 4652]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018/AGRAHAYANA 9, 1940

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

**का.आ. 5878(अ).**—केंद्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं की श्रेणी या उसका कुछ प्रतिशत आदेश द्वारा उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति या वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त है;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए का.आ. संख्यांक 255(अ), तारीख 27 जनवरी, 2016 द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन कर दिया है;

और केंद्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट है कि पटसन पैकिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए वस्तुओं या वस्तुओं की श्रेणियों या उसके कुछ प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना, कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में अनिवार्य है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ. संख्यांक 1024(अ), तारीख 9 मार्च, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति और वितरण के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2019 तक पटसन पैकिंग सामग्री में पैक की जाएगी, अर्थात्:-

### सारणी

क्रम सं.	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में निर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग के कुल उत्पादन का प्रतिशत
1	2	3
(i)	खाद्यान्न	*उत्पादन का शत प्रतिशत (100 %)
(ii)	चीनी	**उत्पादन का बीस प्रतिशत (20 %)

\*आरम्भ में खाद्यान्न के लिए मांग पत्र का दस प्रतिशत प्रति वर्ती नीलामी के माध्यम से सरकारी ई-विपणन पोर्टल (जी ई एम) पर रखा जायेगा।

\*\* उपापन एजेंसियों द्वारा मिलों या खुले बाजार से सीधा क्रय के अधीन विविध प्रकार के पटसन थैले।

2. सरकारी ई-विपणन (जी ई एम) पोर्टल के माध्यम से खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन थैलों का उपापन परीक्षण आधार पर आरम्भ किया जायेगा।

3. शुरुआत में मांग पत्र का दस प्रतिशत राज्य उपापन एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से सरकारी ई-विपणन (जी ई एम) पोर्टल पर रखा जायेगा।

4. उस विस्तार तक जहाँ तक पटसन मिलें सरकारी ई-विपणन (जी ई एम) पोर्टल बोली के माध्यम से अनुज्ञात तीस दिन के भीतर आपूर्ति करने में असफल रहती हैं, वस्त्र मंत्रालय आज्ञापक पैकेजिंग मानक का अग्रिम क्षीणीकरण अनुज्ञात करेगा और सरकारी ई-विपणन (जी ई एम) पोर्टल में प्रोत्साहनात्मक भागीदारी के लिए उत्पादन-सह-आपूर्ति आवंटन सूत्र उपान्तरित किया जायेगा।

5. पटसन पैकेजिंग सामग्री की किसी कमी या बाधा की दशा में या अन्य आकस्मिक या अत्यावश्यक दशा में, वस्त्र मंत्रालय सम्बंधित उपयोक्ता मंत्रालयों के परामर्श से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री का अधिकतम तीस प्रतिशत तक और क्षीणीकरण अनुज्ञात कर सकेगा।

6. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार आपूर्ति योजना के अनुसार उपापन एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न पैक के लिए पटसन थैलों का मांग पत्र नहीं रखने की दशा में और मांगो का समूह (मांग पत्र) उत्पन्न होता है तब पटसन मिलों को पटसन थैलों की आपूर्ति के लिए युक्तियुक्त अतिरिक्त समय दिया जायेगा; परन्तु यदि मिलें विस्तारित समय में थैलों की आपूर्ति करने में असफल रहती हैं तो क्षीणीकरण से सम्बंधित शर्तें लागू होंगी।

7. उक्त अधिनियम के अधीन आरक्षित की परिधि से निम्नलिखित को बाहर रखा जा सकेगा अर्थात्:-

(क) विटामिन से पुष्ट चीनी;

(ख) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैकिंग;

(ग) खाद्यान्नों के लिए दस कि.ग्रा. और उससे कम और चीनी के लिए पच्चीस कि.ग्रा. और उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैकेज;

(घ) सौ कि.ग्रा. से अधिक थोक पैकिंग; और

(ङ.) निर्यात के लिए पैक की गई चीनी जो खाद्य और लोक वितरण विभाग द्वारा किए गए निर्धारण और सिफारिशों के आधार पर निर्यात नहीं की जा सकी थी।

8. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे पटसन और पटसन पैकिंग सामग्री के उत्पादन में लगे व्यक्ति आज्ञापक पैकिंग से लाभ प्राप्त करें, पटसन श्रमिकों को कानूनी शोध और पटसन किसानों को तथा कच्चे पटसन के उपापन पर गाँठ बनाने वालों को त्वरित भुगतान के लिए समर्थ बनाने के लिए उचित क्रियाविधि बनाई जाएगी।

9. पैरा 8 में निर्दिष्ट क्रियाविधि में श्रमिकों को कानूनी भुगतान करने पर सम्बंधित राज्य सरकार के श्रम विभाग से आवधिक प्रमाणपत्र तथा कच्चे पटसन की आपूर्ति के लिए मिलों से त्वरित भुगतान का स्व प्रमाणपत्र प्राप्त करना सम्मिलित होगा।

[फा. सं. 9/7/2018-पटसन (भाग)]

अतुल कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES****ORDER**

New Delhi, the 30th November, 2018

**S.O. 5878(E).**—Whereas, the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act) is empowered to specify the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material by an Order, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And, whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee *vide* number S.O. 255(E), dated the 27<sup>th</sup> January, 2016, to recommend the norms of packaging in jute material;

And, whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), and in supersession of order number S.O. 1024(E), dated the 9<sup>th</sup> March, 2018, except as things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Table below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, up to 30<sup>th</sup> June, 2019, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Commodities	Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India
1	2	3
(i)	Foodgrains	*Hundred per cent. (100%) of the production
(ii)	Sugar	**Twenty per cent. (20%) of the production

\*Initially ten per cent. of the indents for foodgrains would be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.

\*\*In diversified jute bags under direct purchase by the procuring agencies from the mills or open market.

2. Procurement of jute bags for packing of foodgrains through the Government e-Marketplace (GeM) portal shall be initiated on trial basis.

3. To begin with, ten per cent. of the indents shall be placed by the State Procurement Agencies through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.

4. To the extent jute mills fail to supply through the Government e-Marketplace (GeM) portal bidding within the permissible thirty days, the Ministry of Textiles shall allow upfront dilution of mandatory packaging norm and the allocation formula for the Production-cum-Supply Orders shall be modified to incentivise participation of jute mills in the Government e-Marketplace (GeM) portal.

5. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in case of any other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries

concerned, allow further dilution of packaging material up to a maximum of thirty per cent. of the percentage specified in column (3) of the said Table.

6. In case the Procurement Agencies do not place indents for jute bags to pack foodgrains as per supply plan prepared by Department of Food and Public Distribution and bunching of demand (indents) takes place then the jute mills shall get reasonable additional time for the supply of jute bags; provided that if the mills fail to supply the bags in the extended period, the conditions relating to dilution shall be applicable.

7. The following may be kept out of the purview of reservation under the said Act:-

- a) sugar fortified with vitamins;
- b) packaging for export of commodities;
- c) small consumer packs of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar;
- d) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and
- e) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by Department of Food and Public Distribution.

8. To ensure that persons engaged in production of raw jute and jute packaging material are benefitted from the mandatory packaging, a suitable mechanism shall be devised for enabling payment of statutory dues to jute workers and prompt payment to jute farmers and balers on procurement of raw jute.

9. The mechanism referred to in paragraph 8 shall include obtaining periodical certification from the Labour Department of the State Government concerned on statutory payments to workers and self-certification from the mills on prompt payment for raw jute supplies.

[F. No. 9/7/2018-Jute (part)]

ATUL KUMAR TIWARI, Jt. Secy.